दिया वरवक्त रजिस्ट्री आदिनांक तक विक्रेतागण 1 लगायत 7 का नामान्तरकरण जमाबंदी में चला आ रहा है, परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा मुताबिक विक्रय पत्र नामान्तरकरण दर्ज ना कर गलत नामान्तरकरण दर्ज किया एवं गिरदावर द्वारा पटवारी हल्का के द्वारा की गयी त्रुटि को सही करने की बजाय नामान्तरकरण खारिज किये जाने की अनुशंसा की एव नायब तहसीलदार द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण खारिज कर दिया। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/7/2017 नामान्तरकरण संख्या 564 वाके ग्राम दांतिल निरस्त किया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावें।

7. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि मुताबिक विक्रय पत्र से अपीलान्ट का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होकर नामान्तरकरण खोला जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
8. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से ग्राम दांतिल की जमाबंदी सम्वत् 2072—2075 से खाता संख्या 140 में बालिया पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/2 नत्थू मदनलाल पप्पूराम पिता भौरिया सन्ती विमला गीता पुत्रियां भौरिया हिस्सा 1/2 जाति अहिर सा द्वारिकपुरा ख. नं. 2158 रकबा 0.22 हैक्टर राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 158 बालिया पुत्र प्रभाती हिस्सा 5/9 नत्थूराम मदनलाल पप्पूराम पिता भौरिया सन्ती बिमला गीता पुत्रियां भौरिया हिस्सा 4/9 जाति अहिर सा द्वारिकपुरा ख.नं. 2152 रकबा 0.18 का अंकन राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा जरिये विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 2158/0.22 सम्पूर्ण भूमि व ख.नं. 2152/0.18 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि यानि 0.04 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 2157/0.07 मे से 0.0111 हैक्टर भूमि का बेचान किया है, जिसका पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 564 भरा गया है, जिस पर गिरदावर द्वारा जमाबंदी एवं विक्रय पत्र से मिलान नहीं होता है। अतः खारिज योग्य है। इसका अंकन है। इस आधार पर नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 24/5/2017 अस्वीकृत किया है। पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक विक्रय पत्र से सही नामान्तरकरण ना भर कर गलत नामान्तरकरण दर्ज किया है, जो अपास्त किया जाना न्यायोचित है।
9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 564 वाके मौजा दांतिल फैसला दिनांक 24/5/2017 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश है कि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 26/12/2013 को मध्य नजर रखते हुए उभयपक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज करें।
10. यह निर्णय आज दिनांक 28.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)